-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बबेरु पुलिस द्वारा चोरी/टप्पेबाजी जैसी आदि घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठित गिरोह के 03 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। मौके से अभियुक्तों के कब्जे से 14.1 हजार रुपए नकद सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि बरामद।**
- **साथ ही पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के बैंक खातों में जमा चोरी/टप्पेबाजी जैसी आपराधिक घटनाओं से अर्जित 2.84 लाख रुपये की अवैध धनराशि को चिन्हित कर नियमानुसार कराया गया फ्रीज।**
- **अभियुक्तों द्वारा जनपद बांदा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई स्थानों पर चोरी/टप्पेबाजी/झांसा देने जैसी कई घटनाओं को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री कृष्ण कांत त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना बबेरु पुलिस द्वारा चोरी/टप्पेबाजी जैसी आदि घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठित गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम कौहारा के रहने वाले रामचन्द्र उर्फ मुंशी द्वारा दिनांक 04.06.2026 को थाना बबेरु पर सूचना दी गई थी कि दिनांक 03.06.2026 को जब वह अपने घर कौहारा जा रहे थे तो औरन रोड पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके रुपए चोरी कर लिये गये तथा इसी क्रम में कस्बा बबेरु के रहने वाले विनय प्रताप ने दिनांक 07.06.2026 को सूचना दी कि दिनांक 25.05.2026 को रुपए लेकर पोस्ट ऑफिस में जमा करने जा रहा था तभी मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति रुपए दोगुना करने लालच देकर उनके रुपए लेकर भाग गए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना बबेरु पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए आस-पास के सीसीटीवी कैमरो व अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीकि साक्ष्यों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07.06.2026 की रात्रि को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ओरन रोड पर 03 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल के साथ संदिग्ध रुप से खड़े है। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घेराबन्दी करते हुए तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 14100 रुपए नकद प्राप्त हुए। रुपये के बारे कड़ाई से पूछताछ की गई तो तीनों अभियुक्तों द्वारा बताया कि वे सभी एक संगठित गिरोह बनाकर रुपयों की चोरी व टप्पेबाजी करते है एवं **रुपए दोगुनी करने जैसी आकर्षक एवं भ्रामक योजनाओं का लालच देकर अपने झांसे में लेकर उनके रुपए भी हड़प लेते है, साथ ही** अपना जुर्म स्वीकार करते हुए **विगत कुछ दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में किए गए घटनाओं को भी स्वीकार किया गया**। मौके से बरामद बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त अनुराग पुत्र शिव प्रसाद द्वारा बताया गया कि उक्त मोटरसाइकिल उसी के नाम पर पंजीकृत है, जिसे उसने चोरी एवं टप्पेबाजी से प्राप्त रुपए से किश्तों पर खरीदा है तथा उसकी मासिक किश्तों का भुगतान भी इसी अवैध तरीके से प्राप्त रुपए से करता है। जांच के क्रम में पाया गया कि **अभियुक्तों द्वारा एक सुनियोजित एवं संगठित तरीके से लोगों को चिन्हित करते थे इसके पश्चात वे अवसर पाकर उक्त व्यक्तियों के साथ चोरी अथवा टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा लोगों को धनराशि दोगुनी करने जैसी**

आकर्षक एवं भ्रामक योजनाओं का देकर अपने झांसे में लेते थे और उनके रुपए हड़प लेते थे। घटना को सफलतापूर्वक अंजाम देने हेतु गिरोह का एक सदस्य आसपास की गतिविधियों एवं लोगों की निगरानी करता था तथा स्वयं को सामान्य और भले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर पीड़ित/व्यक्ति का विश्वास अर्जित करता था और उनकी योजना को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिससे पीड़ित को किसी प्रकार का संदेह न हो और अपराध को आसानी से अंजाम दे सके। इस सम्बन्ध में गहनता से जांच करने पर पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा चोरी/टप्पेबाजी जैसी आपराधिक घटनाओं से प्राप्त धनराशि को ये अपने बैंक खातों में जमा करते थे जिन्हे चिह्नित करते हुए अभियुक्तों के बैंक खातों में जमा कुल 02 लाख 84 हजार रुपए की धनराशि को नियमानुसार फ्रीज कराया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा और गहनता से पूछताछ कर जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों और कितने से लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बता दें कि अभियुक्त कैलाश पुत्र छंगू एक शातिर अपराधी और इस पर एक दर्जन से भी अधिक मामलें दर्ज है।

बरामदगी-

- 14100/ रुपए नकद (चोरी/टप्पेबाजी/झांसा के)
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त तथा चोरी/टप्पेबाजी के रुपए से खरीदी गई)
- 2.84 लाख रुपए (चोरी/टप्पेबाजी के बैंक खाते में फ्रीज रुपए)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कैलाश पुत्र छंगू निवासी ओझा नगर थाना कमासिन जनपद बांदा।
2. राजकुमार पुत्र रामराज निवासी ओझा नगर थाना कमासिन जनपद बांदा।
3. अनुराग पुत्र शिवप्रसाद निवासी ओझा नगर थाना कमासिन जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 212/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 221/26 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 192/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 73/26 धारा 318(4) बीएनएस थाना मरका जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कैलाश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 76/90 धारा 41/411/401 भादवि थाना कमासिन जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 102/92 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमासिन जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 48/99 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना कमासिन जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 53/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कमासिन जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 103/201 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना कमासिन जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 140/04 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कमासिन जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0 23/05 धारा 60 आब0 अधि0 थाना कमासिन जनपद बांदा।
8. मु0अ0सं0 12/06 धारा 60 आब0 अधि0 थाना कमासिन जनपद बांदा।
9. मु0अ0सं0 03/09 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना कमासिन जनपद बांदा।
10. मु0अ0सं0 101/09 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कमासिन जनपद बांदा।
11. मु0अ0सं0 27/22 धारा 392/411 भादवि थाना अतर्रा जनपद बांदा।
12. मु0अ0सं0 28/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

13. मु0अ0सं0 30/22 धारा 392/411 भादवि थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राजेन्द्र सिंह राजावत प्र0नि0 थाना बबेरु
2. श्री अरविंद कुमार सिंह चौकी प्रभारी बेर्रावं
3. श्री मनीष कुमार शर्मा चौकी प्रभारी कस्बा बबेरु
4. हे0कां0 रजनीश पाण्डेय
5. कां0 नरेश अहिरवार
6. रि0कां0 अमित यादव